मै0 श्री प्रकाश सिंह धपोला एवं श्री हेमचन्द्र उप्रेती ग्राम– तल्ला धपोली तहसील–काण्डा जिला– बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दि0 23.11.2020 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

श्री प्रकाश सिंह धपोला एवं श्री हेमचन्द्र उप्रेती ग्राम– तल्ला धपोली तहसील काण्डा जिला– बागेश्वर, उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिंग (4.191हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तत मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के दि0 21.10.2020 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम मे क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर , जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तद्क्रम में अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दि0 23.11.2020 को प्रातः 11:00 बजे परियोजना स्थल पंचायत घर धपोली में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के सहायक वैज्ञानिक अधिकारी हरीश चन्द्र जोशी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर श्री हेमन्त कुमार वर्मा तथा अन्य उपस्थित अधिकारीगणो का स्वागत किया। तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स कोग्नीजेन्स रिर्सच इण्डिया प्रा0 लि0 के श्री अनिल कुमार द्वारा परियोजना के संबंध में विवरण पर्यावरण संरक्षण तथा लोक हित के उद्देश्य से परियोजन की भविष्य की योजना से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। तथा कहा गया कि खनन परियोजना से क्षेत्र में सामुदायिक रूप से आर्थिक लाभ होंगे जिससे स्थानीय लोगो को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होंगे। परियोजना में पर्यावरण के अनुकूल प्रकिया के साथ उत्तम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जायेगा जिससे खनन

परियोजना क्षेत्र में पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ सकेगी तथा परियोजना में पर्यावरण वन एवम् जलवायु मंत्रालय के निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त खनन परियोजना के संबंध में जनसमुदाय से उनके सुझाव एवं आपत्तिया टीका टिप्पणी हेतु आमंत्रित किये गये। जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव एवं टीका टिप्पणी का विवरण निम्नवत है।

1. श्री गोविन्द ग्राम– काण्डा बागेश्वरः– श्री गोविन्द द्वारा कहा गया कि परियोजना स्थल पर खनन कार्य शुरू किया जायेगा उससे बाकी गांव वालो को होने वाली परेशानी, पानी की समस्या तथा गांव में स्वास्थ संबंधी सुविधा कम होने के संबंध में अवगत कराया तथा इसका निदान परियोजन प्रस्ताव से चाहा गया। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि स्वास्थ संबंधी सुविधाओं हेतु शिविरो का आयोजन किया जायेगा, जलापूर्ति हेतु हैण्ड पम्प लगाने का प्राविधान परियोजना में रखा गया है।

2. श्री भीम सिंह धपोला ग्राम– तल्ला धपोली काण्डाः– श्री धपोला द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य से गांव के आने जाने वाले रास्तों में व्यवधान नहीं आना चाहिये, रास्तो को और बेहतर बनाया जाना चाहिए और रास्तो पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रास्तो के संबंध में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि रास्तो पर खनन निषेध रहेगा। जिसमें श्री धपोला संतुष्ट थे।

3. श्री रघुनाथ धपोला ग्राम– धपोली काण्डा बागेश्वरः– श्री रघुनाथ द्वारा रोजगार तथा स्वास्थ सेवा पर परियोजना प्रस्ताव द्वारा ध्यान दिये जाने हेतु कहा गया। रोजगार तथा स्वास्थ के संबंध में परियोजना के सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि आप लोगो के अनुसार ही रोजगार तथा स्वास्थ शिवरो का आयोजन किया जायेगा।

4. राहुल शाह ग्राम– काण्डा बागेश्वरः– श्री शाह द्वारा कहा गया कि रोजगार कैसे दिया जायेगा। जिस संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि गांव वालो को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा। तद्क्रम में उपजिलाधिकारी काण्डा द्वारा जन सुनवाई के उपस्थिति मातृशक्ति तथा अन्य उपस्थित लोगो कहा गया कि परियोजन के संबंध में कोई समस्या हो तो अवगत करायें जिनको रिर्पोट में संकलित किया जायेगा ।

5. सागर उप्रेती, काण्डा बागेश्वरः— श्री उप्रेती द्वारा अवगत कराया गया कि वे श्री हेम चन्द्र उप्रेती के प्रतिनिधि है, जो इस परियोजना के प्रस्ताव है। सभी कार्य जनता को ध्यान में रखकर किया जायेगा। रोजगार में गांव वालो को वरीयता दी जायेगी तथा स्वास्थ आदि के संबंध में जो भी हो सकेगा हर संभव प्रयास किया जायेगा। तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से गांव वालो की भलाई का कार्य किया जायेगा।

6. अभिषेक धपोला ग्राम— धपोली काण्डा बागेश्वरः— श्री अभिषेक द्वारा परियोजन के संबंध में जानना चाहा कि खेत मुवावजा किस आधार पर मिलेगा। जिसके संबंध में अवगत कराया गया कि खेत का मुवावजा आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। तद्क्रम एसडीएम काण्डा द्वारा जन सुनवाई को कहा गया कि पट्टा धारक तथा परियोजना प्रस्ताव के बीच सहमति लिखित रूप से होनी चाहिए। तथा पट्टा धारको तथा परियोजना प्रस्ताव के विवाद की स्थिति में आपस में निपटारा किया जाना उचित होगा। खनन परियोजन में स्थानीय प्रशासन का सहयोग रहेगा।

तद्पश्चात अपरजिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त किया गया तथा कहा गया कि उक्त खनन परियोजना में जन सहयोग की तथा खनन परियोजना प्रस्ताव से जन समुदाय की जिज्ञासा का निरस्तारण तथा खनन कार्य प्रारम्भ होने पर क्षेत्र वासियो की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की अपेक्षा की गई। तथा अन्य कोई टीका टिप्पणी सुझाव आदि प्राप्त न होने पर लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है। तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(हिमन्त कुमार वर्मा)
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मैं० प्रकाश सिंह धपोला एवं हेम-चन्द्र उप्रेती, ग्राम- तल्ला धपोला कांडा, बागेश्वर, तहसील- कांडा, जिला- बागेश्वर की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आयोजित लोक सुनवाई की उपस्थिति-

सुनवाई स्थल:- ग्राम तल्ला धपोली, बागेश्वर
दिनांक- 23/11/2020

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	हेमन्त कुमार वर्मा	A.D.M. बागेश्वर	[signature]
2.	हरीश चन्द्र जोशी	A.S.O उ.प्र.नि. बोर्ड	[signature]
3.	मोहन सिंह	SDM Kanda	[signature]
4.	बालमोहन बिष्ट	SHO Kanda	[signature]
5.	चन्द्रवल्लभ जोशी	Monitoring Asst.	[signature]
6	होशियार सिंह रावत	Geology and mining	[signature]
7	Akhil Kumar	Environment Consultant	[signature]
8.	Mohan Shakun	RSI Kanda	[signature]
9	Sagar Upreti	Kanda, Dhapoli	[signature]
10	P.S. Dhapola	"	[signature]
11	Govind	"	[signature]
12	Surendar Singh Bisht	Kathgodam	[signature]
13	Bhagwat Singh Dhapola	Dhapoli	[signature]
14	Deepak Singh Dhapola	Kanda	[signature]
15	Chanchal Singh	Dhapoli	[signature]
16	बलवन्त सिंह	धपोली	[signature]
17	Kamlesh Singh Dhapola	Dhapoli	[signature]
18	Pawan Dhapola	Dhapoli	[signature]
19	Rajan	Do	[signature]
20	[illegible]	Dhapoli	[signature]

PAGE NO. :
DATE : / /

क्र०	नाम	पता	हस्ताक्षर
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	दयाल सिंह धपोला	धपोली	दयाल सिंह
23	[illegible]		[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible] देवी	धपोली	[illegible]
26	Anil Joshi	—	[illegible]
27	लक्ष्मी देवी	—	लक्ष्मी
28	Rajendra Kumar	Vill. Nadigaon	[illegible]
29	Rahul Sah	Dhapoli	[illegible]
30	Krish Sah	Dhapoli	[illegible]
31	Sunil Sah	Dhapoli	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	Jagat Singh	Kanda	[illegible]
34	Abhishek	Jethai	Abhi
35	[illegible] सिंह	धपोली ग.	[illegible]
36	JITENDRA SINGH DHAPOLA	Dhapoli	[illegible]
37	[illegible] सिंह धपोला	धपोली	[illegible]
38	[illegible]	धपोली	[illegible]
39	[illegible] सिंह	धपोली	[illegible]
40			

ण नियंत्रण बोर्ड

ण नियंत्रण बोर्ड

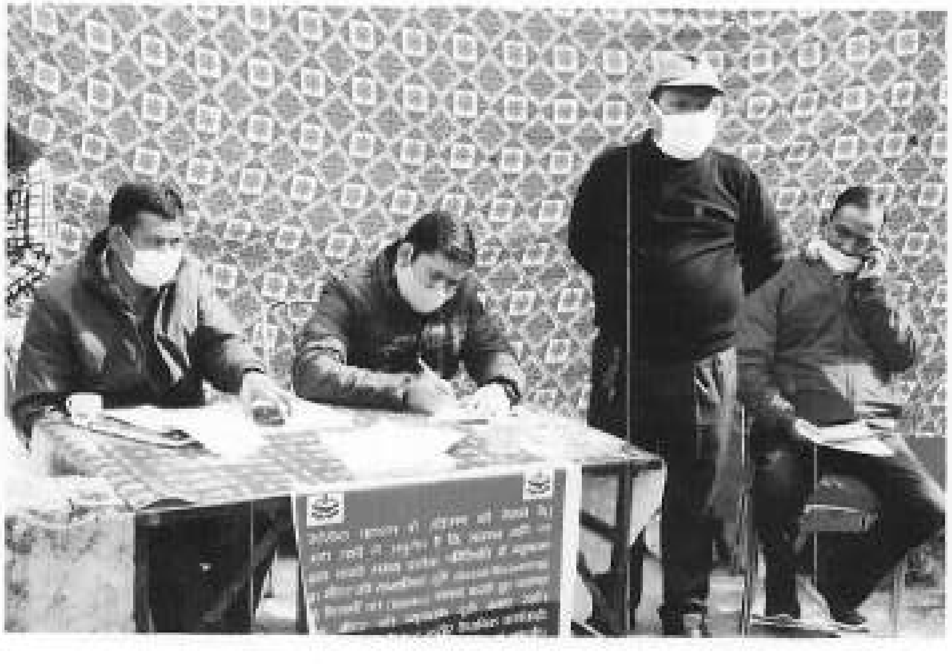

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड